(80)

निग०-5248/2018/सतना/भू रा० 187

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्टरीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

अधि० श्री महेन्द्र कुमार अभिभाषक द्वारा पेश। 28.8.18

सुरेश प्रसाद पाण्डेय पिता श्यामसुन्दर पाण्डेय उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्रामहिनौता खुर्द तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र० --- निगराकार

बनाम

दिनेश प्रसाद पाण्डेय पिता श्यामसुन्दर पाण्डेय उम्र 60 साल निवासीग्राम हिनौता खुर्द तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र०

---- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय वृत्त वदेरा, जिला सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ12/ 2017 पटवारी हल्का क्रमांक 93 तहसील मैहर द्वारा सीमांकन कीपुष्टि आदेश दिनांक 5-6-18 कोकिया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०।

मान्यवर, निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशविधि एवम न्यायिक प्रक्रिया के अनुरुप न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि अनावेदक द्वारा अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि नं०

सुरेश प्रसाद पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05248/सतना/भू–रा0/2018 जिला–सतना

सुरेश प्रसाद पाण्डेय/दिनेश प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त वदेरा, तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मैहर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	